राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 515/2008

महेन्द्रपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.05.2008

आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1998 की अनुपालना में दिनांक 01.07.1998 से वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000 का लाभ दिया जावे तथा दिनांक 30.06.2006 से चयनित वेतनमान 8000–13500 का लाभ दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता एम.एस.सी., बी.एड. है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.10.1972 को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर की गई। उसके पश्चात् दिनांक 25.09.1976 को अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि शिक्षा विभाग ने अधिसूचना क्रमांक एफ.16(5)रूल 1998 दिनांक 07.08.1998 के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक, व्याख्याता व अन्य पदों पर कार्यरत

कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान व चयनित वेतनमान देने का आदेश पारित किया गया। व्याख्याता के लिए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000 व उक्त वेतनमान में 8 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान 8000–13500 देने का आदेश पारित किया गया, जिसे दिनांक 01.07.1998 से प्रभावी किया गया। अपीलार्थी ने उक्त लाभ हेतु दिनांक 27.12.2004 (अनुलग्नक–4) अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी का कथन है कि अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 06.09.1990 को शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में संशोधन करते हुए अध्यापक ग्रेड प्रथम का पदनाम व्याख्याता कर दिया। उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी दिनांक 25.09.1976 को अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत हो गया था। इसलिए वह वर्ष 1976 को व्याख्याता हो गया। शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1998 की पालना में अपीलार्थी 10 वर्ष की सेवा व्याख्याता रूप में वर्ष दिनांक 25.09.1986 को पूर्ण कर ली। लेकिन 10 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ देने की कट ऑफ डेट दिनांक 01.07.1998 दी गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी 10 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। स्वीकार्य रूप से दिनांक 25.09.1976 से 25.09.1986 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का दण्ड नहीं था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय डी.बी.सिविल अपील संख्या 1330/1997 राजस्थान राज्य बनाम कुलदीप सिंह प्रस्तुत की है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चयनित वेतनमान देते समय अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना की जानी चाहिए और जिस तिथि को वह चाहे गये वर्ष पूर्ण करता है, उसे पूर्व के 7 वर्षों का सेवाभिलेख देखा जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में दिनांक 25.09.1986 से पूर्व के 7 वर्षों में अपीलार्थी के कोई दण्ड नहीं है। विभाग ने जवाब में अंकन किया है कि अपीलार्थी की वर्ष 1998–99 की एसीआर प्रतिकूल थी। इसलिए उसे एक वर्ष पश्चात् दिनांक 01.07.1999 से उक्त लाभ दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ निर्णय के अनुसार अपीलार्थी का 10 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान के लिए दिनांक 25.09.1986 से पूर्व के 7 वर्षों का रिकार्ड देखा जाना है। स्वीकार्य रूप से उक्त अवधि में अपीलार्थी का कोई प्रतिकूल सेवाभिलेख नहीं है। इसलिए अपीलार्थी 10 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय अधिकरण ने भी अपील संख्या 3015/2007 राधेश्याम शर्मा बनाम वन विभाग निर्णय दिनांक 10.08.2023 में ऐसा ही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसलिए अपीलार्थी उक्त लाभ दिनांक 01.07.1998 से प्राप्त

करने का अधिकारी है, इसके पश्चात् उक्त वेतनमान में 8 वर्ष पूर्ण होने पर 8000–13500 में चयनित वेतनमान दिनांक 30.06.2006 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1998 की अनुपालना में दिनांक 01.07.1998 से वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000 का लाभ दिया जावे तथा दिनांक 30.06.2006 से चयनित वेतनमान 8000–13500 का लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के वर्ष 1998–99 में की प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान एक वर्ष पश्चात् अर्थात दिनांक 01.07.1999 दिया गया है और उक्त अवधि से 8 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही दिनांक 30.06.2006 को अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया। इसलिए अपीलार्थी 8 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1330/1997 में पारित आदेश दिनांक 16.01.1998 डब्ल्यू.एल.सी. 1998 (3) राजस्थान राज्य बनाम कुलदीप सिंह के निर्णय के अनुसार 10 वर्षीय चयनित वेतनमान लाभ के लिए उसकी दिनांक 25.09.1976 से सेवाओं की गणना करते हुए दिनांक 25.09.1986 के पूर्व के 7 वर्षों का रिकार्ड देखा जाना उचित माना है और उक्त अवधि में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.1999 के स्थान पर दिनांक 01.07.1998 से प्राप्त करने का अधिकारी है और आगामी चयनित वेतनमान 8 वर्ष पश्चात् दिनांक 30.06.2006 को देय होता है, उससे पूर्व के 7 वर्ष अर्थात् वर्ष 1999 से वर्ष 2006 तक अपीलार्थी के कोई प्रतिकूल रिकार्ड नहीं है। इसलिए अपीलार्थी चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 8000–13500 में दिनांक 30.06.2006 से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1998 की अनुपालना में दिनांक 01.07.1998 से वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000 का लाभ दिया जावे तथा दिनांक 30.06.2006 से चयनित वेतनमान 8000–13500 का लाभ दिया जावे। अपीलार्थी के पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. संशोधित किए जाएं। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य